डिकरी व सीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर मुकाम भरतपुर
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या 86/21 (223 आर.टी.एक्ट)
आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2021/181
उनवानी :–

1. फकरू उर्फ फजरू
2. बशीर

} पिसरान श्री कोला जाति फकीर निवासी ग्राम बेला, तहसील नगर जिला भरतपुर ।

.....अपीलांट।

बनाम

1. जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर।
2. तहसीलदार साहब तहसील नगर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 26.03.2021 प्रकरण संख्या 62/2016 उनवान फकरू बनाम जिला कलक्टर न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)नगर।

यह अपील .....30.....माह.....10.....सन्.....2023.....व हमारे .....श्री हनुमान प्रसाद गोयल एड. ..... मिनजानिब अपीलाण्ट , रैस्पोडेण्ट. समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि... अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यापालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक नगर के निर्णय दिनांक 26.03.2021 यथावत रखे जाते है।
(खर्चा अपील.....का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.....) रूपये.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का.....अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....30.....माह.....10.....सन्.....2023.....को जारी की गई।

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 86/21 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2021/181

उनवान

1. फकरू उर्फ फजरू
2. बशीर

} पिसरान श्री कोला जाति फकीर निवासी ग्राम बेला, तहसील नगर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर।
2. तहसीलदार साहब तहसील नगर।

..... रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक नगर दिनांक 26.03.2021 उनवानी फकरू आदि बनाम जिला कलक्टर मु0न0 62/2016

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री हनुमान प्रसाद गोयल उपस्थित।
2. पैरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 30.10.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक नगर के आदेश दिनांक 26.03.2021 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 736/0.12 है0 वाके ग्राम बेला तहसील नगर वादीगण के पिता स्व0 कोला पुत्र कल्लू जाति फकीर को प्रतिवादीगण द्वारा कीमतन आवंटन की गई थी। जिसकी कीमत भी वादीगण के पिता द्वारा जरिये बुक संख्या 092944 रसीद संख्या 000028 दिनांक 28.06.1989 को 325/– रूपये प्रतिवादीगण को जमा कर दी गई है, परन्तु प्रतिवादीगण ने उक्त रकवे पर आवंटन कीमत जमा

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

होने के बाबजूद भी वादीगण के पिता को सनद जारी नहीं की और खातेदार दर्ज करने के बजाय गैर खातेदार दर्ज कर दिया तथा किस्म भी दुरूस्त नहीं की। वादीगण के पिता कोला के फौत होने के पश्चात् हम वादीगण विवादित आराजी पर बराबर–बराबर काश्त कर रहे हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजीयात पर गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। यह है कि विवादित आराजी कस्टोडियन की भूमि थी, जो वादीगण अपीलाण्ट के पिता को कीमतन आवंटन हुयी। अपीलाण्ट द्वारा विवादित आराजी बाबत् कीमत भी जमा करा दी गयी। परन्तु उनके द्वारा कोई सनद जारी नहीं की गयी। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने पैसे जमा कराने की रसीद, चालान, लगान की रसीदे प्रस्तुत की है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का दावा खारिज करने में त्रुटि की है। यह है कि तहसीलदार ने अपने जवाब में विवादित आराजी को रास्ता की भूमि होना बताया है। परन्तु तहसीलदार इस प्रकार की आपत्ति नहीं कर सकता। क्योंकि विवादित आराजी अपीलाण्ट के पिता को कीमतन आवंटन हुयी है। यदि विवादित आराजी रास्ते की भूमि थी, तो उसे अपीलाण्ट के पिता को आवंटन क्यों किया एवं क्यों गैर खातेदारी अधिकार दिये गये एवं यदि अतिक्रमी थे, तो क्यों उन्हें बेदखल नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज, गवाह आदि पर विचार नहीं किया एवं सरसरी तौर पर दावा खारिज कर दिया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अपीलाण्ट अपने जिम्मे की किसी भी तनकी को साबित करने में सफल नहीं हुये हैं एवं ना ही अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकरण को तय करने हेतु चार तनकियॉ बनाई गयी हैं। अपीलाण्ट अपने जिम्मे की किसी भी तनकी को साबित करने में सफल नहीं हुये हैं। विवादित भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड में गैर मु0 रास्ता के रूप में दर्ज हैं, जो कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के लिये प्रतिबंधित की श्रेणी में आती है एवं किसी एक व्यक्ति के हितार्थ सार्वजनिक सुविधा को बंधक नही बनाया जा सकता है। इसके अलावा विवादित भूमि कस्टोडियन की भूमि है। ऐसे प्रकरणो में

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

खातेदारी देने हेतु राजस्थान सरकार ने अलग से नियम/परिपत्र इत्यादि जारी किये हुये हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलाण्ट अपने जिम्मे की किसी भी तनकी को साबित करने में सफल नहीं हुये हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश तनकीवार तार्किक है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक नगर के आदेश दिनांक 26.03.2021 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 30.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

30.10.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर